रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, सोमवार, मई 6, 2019/वैशाख 16, 1941
No. 146] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2019/VAISAKHA 16, 1941

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2019

फा. सं. 14-4/2012 (सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) विनियम, 2012 का अधिक्रमण करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ :

(क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित अथवा निगमित किया गया हो, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय संस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

(ग) यह विनियम, भाासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्यः

किसी संस्थान में पहलें से नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और इस संबंध में एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषाः जब तक कि इन विनियमों के संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) ''अधिनियम'' का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;

(ख) ''पीड़ित छात्र'' से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंध किसी मामले में कोई शिकायत हो।

(ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।

(घ) "महाविद्यालयी छात्र शिकायत निवारण समिति" (सीएसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी संस्थान के स्तर पर, जोकि महाविद्यालय हो, गठित किसी समिति से है।

(ङ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित आयोग से है।

(च) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

(छ) "विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति" (डीएसजीआरसी) से अभिप्राय इन विनियमों के तहत किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग, विद्यालय या केंद्र के स्तर पर गठित किसी समिति से है।

(ज) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ित छात्र द्वारा की गई शिकायत(तें) शामिल हैं, नामतः

i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;

ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;

iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;

iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्था द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;

v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक हो, और तथ्यों पर आधारित नहीं हो;

vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो, को अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों, का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सके जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;

vii. संस्था की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना;

viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लंघन किया जाए;

ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत, अथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हों तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;

x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में, अथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन में, अथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;

xi. विवरणिका में यथा उल्लिखित, अथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रों की सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;

xii. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर– पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;

xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जोकि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, अथवा जैसा की आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए, के भीतर प्रवेश त्याग देता है;

xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा निशक्त श्रेणियों के छात्रों के कथित भेदभाव की शिकायत;

xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किए जाना अपेक्षित था के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना; तथा